न्यायालय, कनीय न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

अधिकार वाद सं0–67 / 2022

विनोद राय .....वादी

बनाम्

श्रीमति महेश्वरी देवी वगैरह .....प्रतिवादीगण

आदेश

17.07.2026 वादी एवं प्रतिवादी की ओर से हाजरी दी गई। वादी की ओर से आदेश 26 नियम 10 ए सी0 पी0 सी0 आवेदन दिनांक 31.05.2024 को संचालित किया गया एवं कथन किया गया कि यह वाद वादी द्वारा वाद पत्र के अनुसूची–2 में उल्लेखित संपत्ति पर स्वाामित्व की घोषणा के लिए दाखिल किया गया है। मामले के विस्तृत तथ्य वाद पत्र में उल्लेखित है। जो इस पैराग्राफ का अभिन्न अंग है। इसलिए संक्षिप्तता लिये इन्हें यहां दोहराया नहीं गया है। वादी ने वाद पत्र के पैरा–9 में कहा है कि प्रतिवादी सं0–1 ने वादी की भूमि–मीन पर अतिक्रमण किया है जो वाद सं0–1 / 2017 का विषय नहीं है। जिसके माध्यम से प्रतिवादी सं0–1 को उसका हिस्सा मिला था। ऐसी परिस्थितियों में इस मुकदमें के उचित निपटारे के लिए वाद भूमि की वास्तविक भौतिक मापन हेतु एस0 के0 पी0 सी0 की नियुक्ति करना आवश्यक है। वादी न्यायालय में एस0 के0 पी0 सी0 शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार है, जैसा कि आपके आदेशानुसार हो। एस0 के0 पी0 सी0 को जिन बिन्दुओं पर रिपोर्ट देनी है वह इस आवेदन के अन्त में है। आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने की कृपा करें।

प्रतिवादी की ओर से वादी द्वारा दाखिल आवेदन दि0–31.05.2024 का प्रतिउत्तर दाखिल कर कथन किया गया कि प्रस्तुत आवेदन दाखिल करने का कोई हक व कारण नहीं है। प्रस्तुत आवेदन जिन ब्यानात के साथ दाखिल किया गया है वो खारिज होने योग्य है। प्रस्तुत वाद के विवादित भूमि प्रतिवादी की खरीदगी भू–भाग है जिसके निस्वद एक विभाजन वाद सं0–223 / 2012 श्रीमान् सब–जज, समस्तीपुर के न्यायालय में दाखिल था। जिसमें प्रार्थी के पक्ष में फैसला और डिक्री पारित हुआ। उसके बाद प्रार्थी ईजराय वाद सं0–01 / 2017 दाखिल किया। वादी जानबूझकर प्रार्थी को आर्थिक व मानसिक नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से प्रस्तुत वाद दाखिल किया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादी का आवेदन खर्चा के साथ खारिज करने की कृपा करें।

उक्त आवेदन पर उभय पक्ष की विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख एवं आवेदन का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि वादी विवादित भू–भाग का सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त बहाल कर जांच करवाना चाहते हैं। विवादित भूमि का सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त से मापी कराने से वाद में सही तथ्य सामने आयेगा जिससे वाद के उचित निष्पादन एवं न्याय निर्णयन में सुविधा होगी। वादी का आवेदन स्वीकृत करना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादी का आवेदन शपथ पत्र से संपुष्ट है। वादी एस के पी सी की नियुक्ति हेतु खर्च अदा करने को तैयार है। अतः वादी का आदेश 26 नियम 10 ए सी0 पी0 सी0 आवेदन दिनांक–31.05.2024 न्यायहित में **स्वीकृत** किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति खर्च **मो0 4000 / – रू0** नजारत में जमा कर न्यायालय में खर्च रसीद एवं अनुरोध पत्र का उपकरण दाखिल करें। तत्पश्चात् कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, समस्तीपुर को एस0 के0 पी0 सी0 कि नियुक्ति हेतु अनुरोध पत्र निर्गत करें।

वाद दिनांक– **28.08.2026** वास्ते दाखिल करने खर्च रसीद एवं अनुरोध पत्र का उपकरण।

ले0

मुंसिफ